three persons would be water-starved and water-stressed in this country. We already have the problem of *Cauvery* and *Sutlej* and *Beas* in Haryana.

MR. CHAIRMAN: Let us not raise that issue. Otherwise, I will have to face other difficulties.

SHRI PREM CHAND GUPTA: What are the Government plans in this regard? Sir, the question is not that of replying to a question. It is not the question of giving a printed reply. What exactly are you doing about the matter? That is the question.

SHRI BANDARU DATTATRAYA: Sir, the hon. Member has debated a point. But the matter of rain water harvesting comes under the Ministry of Water Resources. In spite of that, I will try to answer as to what we are doing.

SHRI PREM CHAND GUPTA: What are you doing, Sir? Rain water harvesting comes under the Ministry of Water Resources, some other matter comes under you and yet another matter comes under some other Ministry. Ultimately, the nation is the sufferer, the populace is the sufferer, humanity is the sufferer. I mean there must be some coordination among the different Ministries.

MR. CHAIRMAN: Let him speak. गुप्ता जी, आप बैठिए। मंत्री महोदय, मामला बहुत गंभीर है। साथ ही यह और गंभीर होने वाला है, इसलिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर इस के समाधान की व्यवस्था करे। अब इस प्रश्न को खत्म करिए, अगला प्रश्न।

*83.[The questioner, (Shri K.B. Krishna Murthy) was absent. For answer *vide* page *43 infra]*

**84.* [The questioner (Shrimati Saroj Dubey) was absent. For answer *vide* page *44 infra]*

**विदेशी विश्वविद्यालयों से मेडिकल डिग्रियां**

*85. **श्री लाजपत राय: †***
**श्री कपिल सिब्बल :**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कतिपय विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए देश में चिकित्सा प्रैक्टिस आरंभ करने से पूर्व एक परीक्षा देना अनिवार्य बना दिया था;

†सभा में यह प्रश्न श्री लाजपत राय द्वारा पूछा गया।

(ख) यदि हां, तो उन देशों और विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनके संबंध म यह निर्णय लागू होता है; और

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा उक्त आदेश कब जारी किया गया था और यह किस तिथि से प्रभावी हुआ था?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज)**: (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

## विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 के प्रावधानों, जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2001 के द्वारा संशोधित किया गया था, के अनुसरण में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने केन्द्रीय सरकर के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में दिनांक 18-2-2002 को स्क्रीनिंग जांच विनियम अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों के अनुसार भारत से बाहर स्थित किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक चिकित्सा अर्हता रखने वाला ऐसा भारतीय नागरिक जो दिनांक 15.3.2002 को अथवा इसके पश्चात् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अथवा किसी भी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् से अस्थायी अथवा स्थायी पंजीकरण कराने का इच्छुक है, उसे इस प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग जांच में उत्तीर्ण होना होगा। उक्त विनियमों के लागू होने के पश्चात् कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास भारत से बाहर किसी भी देश में स्थित चिकित्सा संस्थान से भारत में एम.बी.बी.एस. के समकक्ष ऐसी प्राथमिक चिकित्सा अर्हता है जो संबंधित देश में चिकित्सा प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकरण हेतु एक मान्यताप्राप्त अर्हता है, वह स्क्रीनिंग जांच में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही भारत में चिकित्सा व्यवसाय हेतु पंजीकरण का पात्र होगा।

## Medical Degrees for Foreign Universities

†*85. SHRI LAJPAT RAI:††
SHRI KAPIL SIBAL:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Medical Council of India had made it compulsory for the Indian students who have obtained degrees from certain foreign universities to appear in an examination before starting medical practice in the country;

(b) if so, the names of the countries and universities in respect of which the decision is applicable; and

†Original notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lajpat Rai.

(c) when the said order was issued by the Medical Council of India and the date when it came into effect?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

In pursuance to the provisions of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956, as amended by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2001, the Medical Council of India, with the approval of the Central Government, have notified the Screening Test Regulations, 2002 in the Gazette of India on 18-2-2002. As per these Regulations, an Indian citizen possessing a primary medical qualification awarded by any medical institution outside India who is desirous of getting provisional or permanent registration with the Medical Council of India or any State Medical Council on or after 15-3-2002 shall have to qualify a Screening Test conducted by the Prescribed Authority for this purpose.After the commencement of the said Regulations, any Indian Citizen with the primary medical qualification, equivalent to MBBS in India, from a medical institute situated in any country outside India which is a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the concerned country shall become eligible for registration to practice medicine in India only after qualifying in the Screening Test.

SHRI LAJPAT RAI: Sir, I would like to know from the Minister concerned whether information about the students who were allowed to go abroad for medical studies, is available with the MCI of the country, as to in which country and respective universities the students will be considered to be at par with our level of education. If so, what are the reasons for asking the said students to undergo screening for adjudging their capabilities? The next part of my question is...

श्री सभापति: आप एक क्वैश्चन करिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, माननीय सांसद ने जानना चाहा है कि क्या एम.सी.आई. ने बाहर के कुछ देशों में यह बता रखा था कि यहां ये स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा सकते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि बाहर के देशों के कुछ कॉलेजेज बाकायदा एम.सी.आई. ने रिकॉग्नाइज किए हुए थे और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था कि अगर 50

फीसदी मार्क्स यहां आप के 10 + 2 में हैं, तो आप एलिजिबल हैं। उन देशों के उन कॉलेजेज में अगर बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो उन की डिग्रीज को यहां रिकॉग्नाइज किया जाता था। लेकिन बाद में एम.सी.आई. ने ऐसा सोचा कि सभी कॉलेजेज के स्टैंडर्ड को यूनिफार्म बनाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए और उन्होंने यह कानून बनाया कि वे बच्चे जब यहां पढ़कर वापिस आएंगे तो उन्हे एक ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट को पास करने के बाद ही उन बच्चों को यहां प्रैक्टिस करने के लिए प्रोविजिनल लाइसेंस और मेन लाइसेंस मिलेगा। इस तरह का एक नोटिफिकेशन उन्होंने 18 फरवरी, 2002 को जारी किया था। उस के बाद से यह स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, लेकिन पहले बाकायदा एम.सी.आई. के द्वारा जो कॉलेजेज रिकॉग्नाइज्ड थे, जिस के बारे में माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे।

**श्री लाजपत राय:** मैंने यह पूछा है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए गए, उन को जाने से पहले बताया गया कि नहीं कि कौन से कंट्री में कौन से कॉलेजेज में वे जा सकते हैं जिन की पढ़ाई हमारे बराबर रहेगी? महोदय, इस का जवाब नहीं आया।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** महोदय, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले उन्हें बताया था? जाने से पहले उन्हें नहीं बताया कि तुम्हें वापिस आकर टेस्ट देना पड़ेगा।

सभापति जी, अगर मुझे थोड़ा सा लम्बा जवाब देने की अनुमति दें तो शायद इससे उठने वाले सारे जवाब निकल जाएंगे। महोदय, जो बात उन्होंने कही है, वह गवर्नमेंट के सामने आई। जो बात आप जानना चाह रहे हैं, वह मैं बताती हूं। सभापति जी, वह बहुत सही सवाल उठा रहे हैं कि जो टेस्ट लागू कर रहे हो, क्या जाने से पहले बच्चों को बताया था कि आने के बाद तुम्हें यह टेस्ट देना पड़ेगा? यह नहीं बताया था बल्कि एम.सी.आई. ने कुछ कॉलेजेज रिकॉग्नाइज कर के यह कहा था कि अगर तुम्हारे पास 50 फीसदी नंबर हैं तो तुम इन कॉलेजज में पढ़ने जा सकते हो। सभापति जी, मैं आप के माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि यह मामला सरकार के पास आया और यही बात उन्होंने रखी कि हम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेज से पढ़कर आए हैं। सभापति जी, ये तीन तरह के बच्चे हैं-एक तो वे बच्चे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से पढ़कर आए हैं। इस बारे में जैसा उन्होंने कहा कि एम.सी.आई ने बताया था कि उस कॉलेजेज में पढ़ने जा सकते हो? कुछ बच्चे वे हैं जो अनरिकग्नाइज्ड से पढ़कर आए या आधी पढ़ाई रिकग्नाइज्ड से और आधी अनरिकग्नाइज्ड से करके आए। कुछ बच्चे वे हैं जो 50 फीसदी लेकर गए, कुछ बच्चे वे हैं जो 50 फीसदी नहीं लेकर गए। तो इनमें एक क्लास वह बनती है जो 50 फीसदी लेकर गए यानी ऐलिजिब्लिटी क्राइटेरिया पूरा करके गए और रिकग्नाइज्ड काजेजिज से पढ़कर आए, जहां एम.सी.आई. ने कहा था कि हम तुम्हारी डिग्री रिकग्नाज्ड करेंगे, उन पर भी यह टैस्ट अब एम.सी.आई. ने लागू कर दिया है। तो जो बात लाजपत राय जी कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल उसी बात को सरकार ने समझा कि चूंकि जाने से पहले इनको यह नहीं बताया गया था कि तुम्हारे ऊपर यह शर्त लगाई जाएगी, इसलिए इस बात को सामने रखते

हुए सरकार ने अपने तौर पर यह निर्णय किया कि वे बच्चे जो 50 फीसदी लेकर गए थे यानी ऐलिजिब्लिटी क्राइटेरिया पूरा करते थे, जो बच्चे केवल रिकग्नाइज्ड कालेजिज से पूरी पढ़ाई पढ़कर आए हैं, उन पर यह टैस्ट लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने उनको जाने से पहले बताया नहीं था। लेकिन चूंकि इसमें कोर्ट कचहरी हो रही है, कुछ लोग अदालत में गए हुए हैं, हम लोगों की तरफ से भी वहां ऐफिडेविट डाला हुआ है, तो मैंने विधि मंत्री जी को यह मामला स्वयं निर्णय करने के बाद भेजा हुआ है और उनकी राय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया है कि वे बच्चे जो 50 फीसदी का क्राइटेरिया पूरा करते थे, जो बच्चे रिकग्नाइज्ड कालेजिज से पूरी पढ़ाई पढ़कर आए हैं, उन पर रेट्रोस्पेक्टिवली यह शर्त लगाना कि उन्हें आकर के स्क्रीनिंग टैस्ट देना पड़ेगा, यह सही नहीं है। लेकिन इस फैसले पर हम विधि मंत्री जी की राय इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई और प्रश्न सांसद महोदय का रह गया होगा।

**श्री सभापति:** नहीं, वे नहीं करेंगे। वे समझदार हैं, आपकी बात समझ गए हैं।

**श्री लाजपत राय:** थोड़ी सी कसर है।

**श्री सभापति:** काहे में? समझदारी में कसर है या जवाब में कसर है?

**श्री लाजपत राय:** मैं समझ गया। ये मेरी बात समझ गई, मैं इनकी बात समझ गया लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूं। Is it correct? Before seeking justice from the Court, did the affected students make any representation to the Government or the MCI? If so, what are the results thereof? Now, when the matter is pending with the Court for adjudication, is the Government thinking of making any settlement out of Court?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** मैंने दिया है न इसका जवाब। मुझे मालूम है, मैंने यही तो आपसे कहा, यही जवाब दिया है मैंने। यही जवाब तो दिया है मैंने। ..(**व्यवधान**)..

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: The students have been assed ...(*Interruptions*)...

**श्री सभापति:** बैठिए। बैठिए। आपका सवाल नहीं है, आप बैठिए।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, इसी चीज का जवाब दिया है मैंने कि रिप्रजेंटेशन आया और रिप्रजेंटेशन पर हमने यह निर्णय भी कर लिया है और हम विधि मंत्री जी की राय का इंतजार कर रहे हैं।

**श्री सभापति:** वे समझ गए थे लेकिन सप्लीमेंट्री करना था न। श्री कपिल सिब्बल।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** पर मैंने तो जवाब दे दिया था सप्लीमेंट्री से पहले।

**श्री कपिल सिब्बल:** वैसे तो विस्तार से जवाब आ चुका है, लेकिन This is, Sir, a matter which really concerns us. The hon. Law Minister knows that the Bar Council of India also, under the Act when you recognise the degrees of other colleges outside, has now framed the rule that when they come back they have to sit for an examination. So, if the logic is that you recognise the degree and they have to sit for an examination, then that logic should apply also to the Indian students. Why should it apply only to students outside because under the Act you have recognised the degree? So, if you have recognised the degree, no further test is required. If any further test is required, then it must apply to all persons whose degrees have been recognised.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: It is reciprocal. ...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: No, it is not. I am sorry, that is not true. ...(*Interruptions*)... For example, in the United States all persons who get a law degree from colleges have to sit for the State Bar Test. They have to pass that test. It applies to foreigners and also applies to domestic students. In India, it does not apply to domestic students at all; it applies only to foreigners. This is wholly irrational because the degrees are recognised and that is the issue that the hon. Minister must put before the Court.

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, बहुत ही वेलिड आरग्यूमेंट दिया है कपिल सिब्बल जी ने और यही आरग्यूमेंट बच्चों ने अपने रिप्रजेंटेशन में भी दिया था कि अगर आप यूनिफारमिटी ऑफ स्टेंडर्ड की बात कर रहे हैं तो हिन्दुस्तान में जितने कालेजिस हैं, उन कालेजिस से पढ़कर आने वाले बच्चों का भी एक टैस्ट करवाएं और वह यूनिफारमली उसको करें। यह क्या आप कर रहे हैं कि फौरेन की जो डिग्री रिकग्नाइज्ड है, उन पर टैस्ट लाद रहे हैं और हम पर नहीं लाद रहे हैं? यह भी उनका एक आरग्यूमेंट था। लेकिन जैसा मैंने पहले ही सदन को बताया कि उनके इस रिप्रजेंटेशन पर हमने यह निर्णय कर लिया है, उन्हीं कालेजिस के बारे में, जो रिकग्नाइज्ड हैं। जो अनरिकग्नाइज्ड हैं वे तो डिफरेंट पेडस्टल पर हैं या जो एलिजिब्लिटी क्राइटेरिया पूरा करके नहीं गए, वे भी डिफरेंट पेडस्टल पर हैं, लेकिन जो ऐलिजिब्लिटी क्राइटेरिया पूरा करके गए और रिकग्नाइज्ड कालेजिस से पढ़कर आए हैं, उनको अब दर-दर भटकवाना और यह कहना कि तुमको पहले टैस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक नहीं है। हमने, सरकार ने, वही फैसला किया जो आप लोगों की भावना के अनुरूप है।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** आप इसको लागू कर दीजिए न।

**श्री सभापति:** नेक्स्ट क्वेश्चन। अब छोड़िए, छोड़िए। आप बैठ जाइए।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** अभी वे कह रहे थे कि लागू कर दीजिए तो मैं लागू कर ही दूंगी। क्या यह क्वेश्चन खत्म?

**श्री सभापति:** हां, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नं० 86, श्री मनोज भट्टाचार्य।

**Sale of Letrozol in market**

*86. SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Letrozole, prescribed in the USA for treatment of breast cancer is being marketed and used as an infertility cure in India for the last one year or so;

(b) if so, whether the approval of the Drug Controller General of India to this variation was obtained by the concern Pharmaceutical Company and if so, the details thereof; and

(c) if answer to (b) above be in negative, the action proposed to be taken against the company for such a grave lapse?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

Yes, Sir. In a news item appearing in the Hindustan Times, New Delhi dated 24.09.2003, it was reported that Letrozole, an oral anti cancer drug, is being marketed in the country for treatment of infertility. Letrozole had been approved for M/s Sun Pharmaceuticals on 28th June, 2001, as a second line treatment of advanced breast cancer in women.

Since no formal approval was issued for the use of Letrozole as a fertility drug, the firm was issued a notice on 25.9.2003 to explain their alleged promotion of Letrozone as a fertility drug. M/s. Dabur (India), who are also marketing Letrozole, were also directed to explain about their alleged promotion of the drug for fertility enhancement.

It has been explained by the concerned firms that they did not make any claim about its use in fertility on lable of their product. However, following the published literature about beneficial use of Letrozole in fertility enhancement, gynaecologists who enquire about its use in fertility were provided relevant information.